



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/P/20/00012/1

दिनांक : 08.01.2020

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 23.12.2019, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 03.01.2020 को फाइल संख्या CICOM/R/P/20/00012 के तहत अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2,3,7 & 8 पर सीधे सूचना प्रदान करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ। जिसका उत्तर बिन्दुअनुसार इस प्रकार है:-

- 2 अधिकतम जुर्माना राशि रु 25,000/-, 13 केसों में आयोग द्वारा, कथित समय सीमा में लगाई गई। परन्तु उनमें से कोई भी केस आप से सम्बंधित प्रतीक नहीं होता। अतः RTI Act 2005 के Section 8 (1) (j) के तहत कथित जानकारी जिसमें विभिन्न अपीलार्थी की निजी जानकारी भी समाहित है प्रदान नहीं की जा सकती।
- 3 हर्जाने (Compensation) का कोई भी रिकॉर्ड कमीशन में एक स्थान पर Maintain नहीं किया जाता। यह सम्बंधित केस फाइल में ही सम्बंधित रजिस्ट्री में रहता है जिसे RTI Act-2005 के सेक्शन 7(9) के तहत compile नहीं किया जा सकता।
- 7&8 RTI Act 2005 के section 2(f) से परे होने के कारण चाही गई सूचना जो की Query/reason आदि से सम्बंधित है प्रदान नहीं की जा सकती है।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है :- प्रथम अपीलीय अधिकारी, कमरा न .502, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067। उनका दूरभाष न .011-26162290 है।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ
केन्द्रीय रजिस्ट्री -1
दूरभाष न. - 011-26186536

प्रतिलिपि : केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
08/01/20

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ

